

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्जीव प्रभाग शाहजहाँपुर।

पत्रांक ०१२/१५-१ शाहजहाँपुर २०/९/२२ दिनांक

सेवा में,

प्रबन्धक परियोजना,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०,
शहरी गैस वितरण परियोजना,
यू०पी० एण्ड यू०के० क्लस्टर, प्रथम एवं द्वितीय तल
महालक्ष्मी टावर्स, 112, सिविल लाइन बरेली (243001)।

विषय:- जनपद शाहजहाँपुर में एन०एच०-३० (किमी० 294.315 से किमी० 325.00) एन०एच०-३० (किमी० 325.00 से किमी० 341.00 तक) लगभग 42.905 किमी० तथा एन०एच०-731 (किमी० 82.810 से किमी० 114.265 तक) जी०आई०सी० से अटसलिया फाटक पी० डब्लू डी० रोड 3.80 किमी० शाहजहाँपुर रोड पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.0945 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में (प्रस्ताव संख्या एफपी/यूपी/पाईपलाइन/149929/2021)

सन्दर्भ:- सचिव उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ के पत्रांक- भा०स० 96/81-2- 2022 -800(247) /2022 दिनांक 14-09-2022।

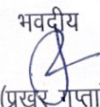
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तों पर चाही गयी अनुपालन आख्या पांच प्रतियों में शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध करायें :-

क्रम सं०	शर्त सं०	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA funds only through e-portal.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जायेगी।
3	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या-03 के क्रम में Complete compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि यदि लागू हो तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान के अनुसार पर्यावरण अनुमति उपलब्ध करायी जाये।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6	No labour camps shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user Agency to the labourer after purchasing the same from the State forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उ० प्र० वन विभाग/वन निगम विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेंगे।

8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
10	Violation of any of these condition will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No-11-42/2017-FC dt. 29/01/2018	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन या गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & CLIMATE Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्त लगायी जायेगी। उसका अनुपालन किया जायेगा।
12	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी।
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही विछाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पाइप लाइन वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही विछाये जायेंगे।
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।
15	प्रस्तावित एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावित एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित समझौता दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित समझौता दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुसंधान का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि अनुसंधान का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
22	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
23	भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र सं0- J-11013/41/2006-IA-ii (I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र सं0- J-11013/41/2006-IA-ii (I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा, जो भी लागू हो।

24	यदि प्रशनगम भूमि सन्तरी/ नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98 -एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98 -एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेंगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेंगा।
27	नोडल अधिकारी उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह से जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	—
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति) / फाना संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति) / फाना संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किये जायेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य परियोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य परियोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	—
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन सं०-(सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06-01-2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित वन भूमि 4.0945 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ 9.57780 लाख (नौ लाख सत्तावन हजार सात सौ अस्सी मात्र) प्रति हे० की दर से रु० 3921630.00 (उत्तालीस लाख इक्कीस हजार छः सौ तीस मात्र) को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से अच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	—
33	प्रशनगत विधिवत स्वीकृत मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी विन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	—

भवदीय

 (प्रखर गुप्ता)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीप प्रभाग,
 शाहजहांपुर।